पत्र सं0–5/बजट (विविध) 6–03/2018 –सा0–3517/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

ई–मेल/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना।
निदेशक, बिहार लोक प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना।
सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग, पटना।
सचिव, अति पिछड़ा वर्ग आयोग, पटना।
सचिव, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, राज्य महादलित आयोग, पटना।
सचिव, स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन,
चाणक्यपुरी, 5 कौटिल्य मार्ग नई दिल्ली–21.
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।
अवर सचिव (लेखा), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना।

पटना–15, दिनांक–14/3/ 2018

विषय :– पी0एल0 खाता/पी0डी0 खाता में तीन क्रमिक वित्तीय वर्षों तक अप्रयुक्त पड़े राशि के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में महालेखाकार के पत्रांक 1278 दिनांक 13.02.2018, वित्त विभाग के पत्रांक 18 दिनांक 02.01.2018 एवं 9438 दिनांक 07.12.2016 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

अनु0:– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

16.3.18

सरकार के अवर सचिव

Telephone-2223251,
2225766, 2224812

Fax- 0612- 2225977
Tele Gram: ACCOUNTS

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक–डिपोजिट (17-18)-1278
दिनांक– 13.02.2018

सेवा में,
Administrator General, Bihar, Patna

विषय:- पी० एल० खाता में तीन क्रमिक वित्तीय वर्षो तक अप्रयुक्त पड़े राशि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त बिषय के संबंध में कहना है कि बिहार कोषागार संहिता–2011(संशोधित) के नियम–349(2)(i) के तहत् खोले गये बोर्ड / प्राधिकार / एजेंसी / सोसाइटी आदि के पी०एल० खातों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जमा प्रशासक सभी पी०एल० खातों की समीक्षा करेगा। बिहार कोषागार संहिता–2011(संशोधित) के नियम–349(2)(v) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार बोर्ड / प्राधिकार / एजेंसी / सोसाइटी आदि के पी०एल० खाता के मामलों में तीन क्रमिक वित्तीय वर्षो (जिस वित्तीय वर्ष में निकासी की गई है उसे शामिल करते हुए) तक उक्त जमा खाता में अप्रयुक्त पड़े राशि को बाद में खर्च नही किया जाना चाहिए और धन की जिस सेवा शीर्ष (व्यय शीर्ष) से निकासी की गई थी उस सेवा शीर्ष को उसे व्यय में कमी के बतौर अंतरित कर देना चाहिए।

अतः अनुरोध है कि बिहार कोषागार संहिता–2011 (संशोधित) के नियम–349(2)(v) में वर्णित प्रावधानों एवं उपरोक्त संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक–18 दिनांक–02.01.2018 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा तीन क्रमिक वित्तीय वर्षो तक पी० एल० खाता में अप्रयुक्त पड़े राशि की सूचना एवं कृत कार्रवाई (विवरण एवं प्रमाण सहित) से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

भवदीय,

वरीय लेखा अधिकारी,
बिहार पटना।

पत्र सं०-एम-4-27/2011...../2...../वि०,

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

प्रेषक,

जयन्त कुमार सिंह,
अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक ...2...1...18

विषय :- पी०डी० खाता के नियमानुकूल लेखांकण एवं संधारण के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :- वित्त विभाग के पत्रांक-9348/वि0, दिनांक-07.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पी0डी0 खाता के जमा प्रशासकों का वर्ष के अन्त में सभी व्यक्तिगत जमा खाते की समीक्षा करना है तथा पाँच लगातार वित्तीय वर्षों (उस वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि की निकासी की गई थी) तक की अव्ययित राशि को/संबंधित सेवा शीर्ष के व्यय में कटौती कर समेकित निधि में वापस कर देना अपेक्षित है, किन्तु सी0ए0जी0 का वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन की कंडिका-3.9 (छायाप्रति संलग्न) में प्रतिवेदित किया गया है कि "विगत 3 वर्षों में 12 कोषागारों के 14 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 717.23 करोड़ की राशि अव्ययित रही है । वर्ष के दौरान संचित निधि के अव्ययित शेष प्रतिदाय का ब्यौरा किसी भी पी0डी0 लेखा के कोषागार/प्रशासक द्वारा नहीं दिया गया ।"

निर्गत वित्त विभागीय प्रासंगिक पत्र द्वारा पी०डी० खाता के नियमानुकूल लेखांकण एवं संधारण के सम्बन्ध में निदेश दिया गया है । उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में पुनः अनुरोध है कि आपके विभाग के अन्तर्गत संधारित पी०डी० खाता में जमा अव्ययित शेष राशि के प्रतिदाय का ब्यौरा महालेखाकार कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने एवं राज्य में प्रचलित अनुदेशों (वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-6679 दिनांक 23.08.2016) के आलोक में <u>पांच साल बाद सम्बन्धित पी०डी० खाता में जमा शेष राशि सर्विस हेड में निश्चित रूप से वापस करने का निदेश दिया</u> <u>जाय की कृपा की जाय ।</u>

<u>अनुलग्नक:-यथोक्त ।</u>

विश्वासभाजन,

(जयन्त कुमार सिंह)
अपर सचिव

बिहार सरकार

<u>अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग</u>

ज्ञापांक-8डी0(बैंक खाता)-05-09/2016- 172 पटना, दिनांक- 24 01 18

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनु0 जाति सहकारिता विकास निगम/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास निगम, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित आयोग/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/उपनिदेशक (मु0) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी/सभी संबंधित अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक 23.1.18

letter u.ss doc

पत्र सं०-एम-4-27/2011 9348 /वि०,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

जयन्त कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक- 07.12.16

विषय :- पी०डी० खाता के नियमानुकुल लेखांकण एवं संधारण के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :- महालेखाकार, (लि० एवं ह०) का पत्रांक 624 दिनांक 26.10.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में महालेखाकार कार्यालय द्वारा नियमित रूप से पी०डी० खाता की संख्या एवं इससे सम्बन्धित पूर्णरूपेण प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण लेखांकण का कार्य करने में कठिनाई होने की सूचना दी गई है । साथ ही पी०डी० खाता जमा शेष राशि राज्य में प्रचलित अनुदेशों के आलोक में तीन साल बाद सम्बन्धित सर्विस हेड में वापस नहीं किये जाने की बात कही गयी है ।

अतः अनुरोध है कि आपके विभाग के अन्तर्गत संधारित पी०डी० खाता की संख्या एवं उक्त खाता में जमा एवं निकासी से सम्बन्धित पूर्ण प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराने एवं राज्य में प्रचलित अनुदेशों (वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-6679 दिनांक 23.08.2016) के आलोक में पाँच साल बाद सम्बन्धित पी०डी० खाता में जमा शेष राशि सर्विस हेड में निश्चित रूप से वापस करने का निदेश देने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नकः-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(जयन्त कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

Gautam/sec 4/128